न्यायालय माननीय राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर म0प्र0

प्र0क्र0 /2017 निर्ण. I/निगरानी/विदिशा/भू.रा.0/2017/3856.

1. डोगरसिंह पुत्र श्री कमलसिंह लोधी
2. फूलबाई वेवा कमलासिंह लोधी निवासीगण ग्राम सुऑखेडी तहसील गुलावगंज जिला विदिशा ——————निं0कर्ता

बनाम

1. दयाराम पुत्र श्री धर्मदेवसिंह यादव
2. वच्चा यादव पुत्र श्री धर्मदेवसिंह यादव
3. श्रीमति इन्द्रासनी पत्नि श्री धर्मदेवसिंह यादव
4. पंकज यादव पुत्र श्री ~~धर्मदेवसिंह~~ मनोज यादव
5. नीरज यादव पुत्र श्री मनोज यादव निवासी स्वर्णकार कॉलोनी नगर विदिशा तहसील व जिला विदिशा
6. श्रीमति सोना यादव पुत्री श्री धर्मदेवसिंह यादव निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील व जिला विदिशा म0प्र0
7. अमान पुत्र श्री वक्ता अहिरवार
8. भवरलाल पुत्र श्री वक्ता अहिरवार निवासी ग्राम सुऑखेडी तहसील गुलावगंज जिला विदिशा म0प्र0 ——————रिस्पा0गण

अभिभावक श्री के.एस. राजपूत द्वारा आज दिनांक 11/10/17 को पेश। अधीक्षक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—रा.सं. 1959

माननीय महोदय

सेवा में यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान एस.ड़ी.ओ. महोदय ग्यारसपुर के अपील प्रकरण क्र0 16/अपील/2016—17 डोगरसिंह बनाम दयाराम आदि मे पारित आदेश दिनांक 15/09/2017 कें विरूद्व अंदर म्याद पेश की जा रही है।

निगरानी के तथ्य

सेवा मे निवेदन है कि निग. कर्ता ग्राम सुऑखेडी प.ह.न. 23 तहसील गुलावगंज के निवासी होकर ग्राम सुऑखेडी तहसील गुलावगंज जिला विदिशा स्थित कृषि भूमि सर्वे नं0 720/2 रकवा 1.045हे0 तथा सर्वे नं0 720/1 रकवा 1.254हे0 तथा सर्वे नं0 720/1 रकवा 1.254हे0 के स्वत्व व आधिपत्य धारी कृषक है।

डोंगरसिंह

फूलबाई

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक / निगरानी / विदिशा / भू0रा0 / 2017 / 3856

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 16 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 26 व 27 सीपीसी का निरस्त किया गया है। उक्त आवेदक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आधारहीन होने से निरस्त किया है तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु निरस्त किया गया है। अनुविभाागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	